Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 11, 2011
(PHALGUNA 20, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 11th March, 2011

No. 11—HLA of 2011/19.—The Punjab New Capital (Pheriphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 11—HLA of 2011

THE PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2011

A

BILL

Further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty Second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Act, 2011.

Amendment of section 6 of Punjab Act 1 of 1953.

2. For sub-section (1) of section 6 of the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (hereinafter called the principal Act), the following

sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Every person desiring to obtain the permission referred to in section 5 or licence under section 11 shall make an application in writing to the Director in such form and containing such information in respect of the land, building, excavation or means of access to a road to which the application relates, as may be prescribed.".

Insertion of section 12E in Punjab Act 1 of 1953.

3. After section 12D of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**12E. Delegation.**— (1) The State Government may, by notification, direct that any power exercisable by it under this Act, except the powers specified in sections 3, 9 and 16, shall, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable also by such officer or authority subordinate to the State Government, as may be specified in the notification.

(2) The Director may, with the approval of the State Government, by an order in writing, delegate any of his powers and functions under this Act or the rules made thereunder to such other officer subordinate to him, as may be specified in such order.".

Amendment of section 15 of Punjab Act 1 of 1953.

4. For clause (e) of section 15 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) any area falling within the limits of the local authority, which the State Government may, notify.".

Insertion of section 15A in Punjab Act 1 of 1953.

5. After section 15 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"**15A. Effect of other laws.**— (1) Nothing in this Act shall affect the operation of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1961 (Punjab Act 24 of 1961).

(2) Save as aforesaid, the provisions of this Act and the rules made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law.

(3) Notwithstanding anything contained in any such other law—

(a) when permission required under this Act for doing any act or taking any action in respect of any land has been obtained, such act or action shall not be deemed to be unlawfully done or taken by reason only of the fact that permission, approval or sanction required under such other law for doing such act or taking such action has not been obtained;

(b) when permission required under this Act for doing such act or taking such action has not been obtained, such act or action shall not be deemed to be lawfully done or taken by reason only of the fact that permission, approval or sanction required under such other law for the doing of such act or the taking of such action has been obtained.".

Amendment of section 16 of Punjab Act 1 of 1953.

6. In sub-section (1) of section 16 of the principal Act, for the words "for a period of fourteen days", the words "while it is in session" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 was enacted in the year 1952 to ensure healthy and planned development of new capital city of Chandigarh and to prevent growth of slums and ramshackle constructions in the periphery of the new capital city. The Act was adopted by the State of Haryana in the year 1968 and then certain amendments have been carried out to meet the social/economic requirements and changing circumstances. In order to implement the objects of the principal Act, there is a need to amend certain provisions of this Act.

2. Section 6 of the Act only provides for making applications for the permission required under Section 5 i.e. erection or re-erection of buildings. There should be provision for making applications for seeking permission for change of land use as well as licence under Section 11. Although, the Department has been granting permission for change of land use and also granting licences in the periphery controlled area as provided under Section 11 of the Act, however, the manner of application for seeking permission under Section 11 does not exist. Therefore, Section 6 (1) requires amendment.

3. There is a provision in Punjab Scheduled Roads & Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act No. 41 of 1963) for delegation of powers by the Director whereas no such provision is available in Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952. Similar provision needs to be incorporated in this Act also for effective implementation of this Act. At present, the enforcement work by District Town Planner (Enforcement) Panchkula is being done by virtue of Section 2(3). This provision needs to be made more exhaustive and process also needs to be simplified. This shall also lead to convenience of the general public. Hence, amendment is required to make provision for delegation of powers of the Director.

4. The amendment in Section 15(e) was carried out vide notification dated 20-12-1999. The background for carrying out the amendment was that large number of constructions were raised within the Municipal Areas, some even with the approval of Municipal Authorities. As per serve carried out in year 1998-99 for Municipal Areas of Pinjore-Kalka, such constructions were estimated at 2600. Demolition of these unauthorized constructions was considered huge task and a view was taken that it will create law and order problem also. It was also felt that there is no requirement of dual control on the development coming in the Municipal area and it was proposed to exclude the area falling within the Municipal Limits of any town in the periphery area from the provisions of Periphery Control Act. The area proposed for urbanization in the periphery controlled area was included in Panchkula Municipal Corporation under the purview of Haryana Municipal Corporation Act, 1994. The Corporation Act does not have provision to regulate the controlled areas declared by this Department. Therefore, there is need to rationalize this provision to empower the Government to exempt either whole or part of area falling in the limits of local authority from the purview of this Act. Therefore, Section 15 (e) requires to be amended.

5. Section 23 of the (Act No. 41 of 1963) provides overriding powers i.e. wherever the land is situated within the controlled area declared under Act No. 41 of 1963, permission is necessarily required under the said Act even if permission has been obtained under any other law. However, no such provision exists in Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952. Further Municipal Corporation does not have any mechanism to regulate the land uses within the controlled areas declared under Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952. In order to safeguard the area from future possible unregulated development, the provision as available in Act No. 41 of 1963 needs to be incorporated in this Act also. Hence, there is a need to insert Section 15-A.

6. Section 16 provides for the powers to make Rules for implementation of the provisions of this Act. Section 16 (1) mandates that the Rules published under this Act are to be laid before the legislature for a period of 14 days. This clause becomes practically difficult in view of the fact that the Vidhan Sabha Session in these days do not continue for 14 days. Therefore, sometimes it may require laying the Rules continuously during two or three sessions to complete this mandatory provision. Similar provision existed in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 and this provision was amended in the year 2006 to allow the Government to lay the Rules on the table of the House when, it is in session. Therefore, existing Section 16 (1) require amendment.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 11th March, 2011.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 11-एच० एल० ए०

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2011

**पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952,
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे
संशोधित करने के लिये
विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

1953 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 6 का संशोधन।

2. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 5 में निर्दिष्ट अनुमति या धारा 11 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति भूमि, भवन, उत्खनन या सड़क तक पहुंच के साधनों के संबंध में, जिनसे आवेदन संबंधित है, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी सूचना से युक्त जो विहित की जाए, निदेशक को लिखित में आवेदन करेगा ।"।

1953 के पंजाब अधिनियम 1 में धारा 12ङ का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 12घ के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**12ङ प्रत्यायोजन.**— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन इस द्वारा प्रयोज्य ऐसे मामलों के संबंध में तथा ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन धारा 3, 9 तथा 16 में विनिर्दिष्ट शक्ति को छोड़कर कोई शक्ति ऐसे अधिकारी या राज्य सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा भी प्रयोज्य होगी।

(2) निदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों में से किसी को उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, को प्रत्यायोजित कर सकता है ।"।

1953 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 15 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 15 के खण्ड(ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) स्थानीय प्राधिकरण, जो सरकार अधिसूचित करे, की सीमाओं के भीतर, आने वाला कोई क्षेत्र ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 15 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1953 के पंजाब अधिनियम 1 में धारा 15क का रखा जाना।

"15क. **अन्य विधियों का प्रभाव** .— (1) इस अधिनियम की कोई भी बात पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा पंजाब गंदी-बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 24) के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावित होंगे।

(3) किसी ऐसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी —

(क) जब इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के संबंध में कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली गई है, तो किया गया ऐसा कार्य या की गई ऐसी कार्रवाई केवल इस तथ्य के कारण गैरकानूनी के रूप में नहीं समझी जाएगी कि ऐसा कार्य करने के लिए या ऐसी कार्रवाई करने के लिए ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है;

(ख) जब इस अधिनियम के अधीन ऐसा कार्य करने के लिए या ऐसी कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है, तो किया गया ऐसा कार्य या की गई ऐसी कार्रवाई केवल इस तथ्य के कारण गैरकानूनी के रूप में नहीं समझी जाएगी कि ऐसा कार्य करने के लिए या ऐसी कार्रवाई करने के लिए ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "चौदह दिन की किसी अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर, "जब वह सत्र में हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1953 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 16 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्ष 1952 में पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952, में नई राजधानी चण्डीगढ़ के सुव्यवस्थित और नियोजित विकास को सुनिश्चित करने और नई राजधानी की परिधि में मलीन बस्तियों और खस्ताहाल निर्माण की वृद्धि को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम हरियाणा राज्य द्वारा वर्ष 1968 में अपनाया गया था, तत्पश्चात् सामाजिक, आर्थिक आवश्कताओं तथा बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं। मूल अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियम के कुछ और प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है।

2. अधिनियम की धारा 6 केवल धारा 5 के अंतर्गत जैसा कि केवल भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति के लिए प्रार्थना का प्रावधान करती है। धारा 11 में भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति एवं लाईसेस लेने के लिए प्रार्थना करने का प्रावधान होना चाहिए। यद्यपि धारा 11 के तहत अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का प्रावधान मौजूद नहीं है फिर भी विभाग परिधि नियंत्रित क्षेत्र में धारा 11 के प्रावधान अनुसार भूमि उपयोग में परिवर्तन एवं लाईसेंस के लिए भी अनुमति प्रदान करता रहा है। इसलिए धारा 6 (1) में संशोधन की आवश्यकता है।

3. पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम नं० 41) में निदेशक द्वारा अपनी शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान है जबकि ऐसा कोई प्रावधान पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 में उपलब्ध नहीं है। ऐसा ही प्रावधान इस अधिनियम में शामिल किये जाने की आवश्यकता है ताकि अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके तथा दूसरे नियंत्रित क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित शक्तियों को समान किया जा सके। वर्तमान में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) पंचकूला द्वारा प्रर्वतन का कार्य धारा 2(3) के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रावधान को और अधिक व्यापक तथा प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता है। यह आम जनता की सुविधा में भी वृद्धि करेगा। इसलिए अधिनियम में निदेशक की शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

4. धारा 15 (ङ) में संशोधन अधिसूचना 20-12-1999 द्वारा किया गया था। इस संशोधन को लाने के लिए पृष्ठभूमि यह है कि नगरपालिका क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में भवन निर्माण कार्य किए गए एवं इनमें से कुछ तो नगरपालिका से अनुमति प्राप्त करने पश्चात। पिंजौर-कालका नगरपालिका क्षेत्रों के लिए वर्ष 1998-99 में किए गए सर्वेक्षण अनुसार ऐसे निर्माणों की संख्या लगभग 2600 आंकी गई थी। इन अनाधिकृत निर्माणों की तोड़फोड़ को एक बड़ा कार्य माना गया तथा यह विचार भी किया गया कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या भी पैदा करेगा। यह भी महसूस किया गया कि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले विकास पर दोहरे नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है और यह प्रस्तावित किया गया कि जो क्षेत्र, परिधि क्षेत्र के किसी भी शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर आता है, उसे परिधि नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त कर दिया जाये। (परिधि नियंत्रित क्षेत्र मे शहरीकरण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत पंचकूला नगर निगम में शामिल किया गया था।) नगर निगम अधिनियम में इस विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों को नियमन करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इस प्रावधान को युक्तिसंगत करते हुये सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों से नगरपालिका/

नगरनिगम सीमा में आने वाले पूर्ण क्षेत्र या आंशिक क्षेत्र को मुक्त करने बारे अधिकृत करने की आवश्यकता है। अत: धारा 15(ङ) में संशोधन की आवश्यकता है।

5. 1963 के अधिनियम 41 की धारा 23 इस अधिनियम को अधिभावी शक्तियां प्रदान करती है इसका अर्थ है जहां भी भूमि 1963 के अधिनियम 41 के तहत घोषित किये गये नियंत्रित क्षेत्र के भीतर आती है, अधिनियम के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है भले ही अनुमति किसी भी अन्य कानून के तहत प्राप्त की गई हो। जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 में मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, नगर निगम के पास कोई ऐसा तन्त्र नहीं है जिससे उन भूमि उपयोगों को नियंत्रित किया जा सके जोकि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के तहत नियंत्रित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। भविष्य में सम्भावित विसंगतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, जैसा प्रावधान 1963 के अधिनियम नं० 41 में उपलब्ध है इस अधिनियम में शामिल किये जाने की आवश्यकता है, इसलिए धारा 15-क को सम्मिलित किये जाने की प्रस्तावना है।

6. धारा 16 में इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का प्रावधान है। धारा 16 (1) प्रदान करता है कि जो नियम इस अधिनियम के तहत प्रकाशित हैं, उन्हें 14 दिन की अवधि के लिए विधान सभा के समक्ष रखा जाना है। यह खण्ड व्यावहारिक रूप से इसलिए मुश्किल हो जाता है कि कई बार विधान सभा सत्र 14 दिन तक जारी नहीं रहते। इसलिए ऐसी आवश्यकता आ सकती है कि नियम लगातार 2 या 3 सत्रों में रखे जायें ताकि इस प्रावधान की अनिवार्यताओं को पूर्ण किया जा सके। इसी प्रकार का प्रावधान हरियाणा विकास तथा शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत भी था जिसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया ताकि सरकार नियमों को सदन के समक्ष जब भी सत्र चल रहा हो, रख सके। इसलिए मौजूदा धारा 16(1) में संशोधन की आवश्यकता है।

इसलिए यह बिल।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
11 मार्च, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।